FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** इंदौर अर्बन **P.S. (थाना):** तुकोगंज **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0509 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/11/2025 21:24 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 30/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/11/2025 **Time (समय):** 20:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 049 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** इंदौर अर्बन **P.S. (थाना):** तुकोगंज **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0509 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/11/2025 21:24 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 30/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/11/2025 **Time (समय):** 20:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 049 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 1 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): 229 ट्रेड सेंटर, 18, साउथ तुकोगंज जिला इन्दौर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): **District (State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** राजू सिंह

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 23/03/1977 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना तुकोगंज, इंदौर, तुकोगंज, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत

2	स्थायी पता	थाना तुकोगंज, इंदौर, तुकोगंज, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8770911436

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल बोहरा पाटीदार			1. ग्राम मोडी तहसील सुसनेर,जिला आगर मालवा,सुसनेर,आगर मालवा,मध्य प्रदेश,भारत
2	रामगोपाल रातडिया पटवारी			1. ग्राम मोडी तहसील सुसनेर,जिला आगर मालवा,सुसनेर,आगर मालवा,मध्य प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

विवरण - मै थाना तुकोगंज पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं । दिनांक 30/07/2024 को एक शिकायत आवेदन पत्र क्रं 1032/2024 दि. 30/07/2024 का जांच हेतू थाना तुकोगंज पर प्राप्त हुआ । उपरोक्त शिकायत पत्र की जांच करते आवेदक, अनावेदक व साक्षीगणो के कथनो एवं दस्तावेजो के अवलोकन व जांच करते पाया गया कि आरोपी अनिल बोहरा व्दारा दिनांक 31/12/2022 को स्टाम्प नंबर BX-942796 का स्टाम्प स्वंय व्दारा क्रय कर उक्त स्टाम्प पर ग्राम डोकरपुरा के किसान अब्दुल रईस पिता अब्दुल रशीद की जमीन 3.378 हेक्टेयर का कृषि भूमि के विक्रय का अनुबंध लेख कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया जिसपर किसान अब्दुल रईस के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार किया जाकर उक्त अनुबंध मे जमीन का सौदा 4,00,00,000/-(चार करोड रूपये मात्र) का बताकर उसमे से 1,01,00,000/-(एक करोड एक लाख मात्र) की राशि का भुगतान किसान अब्दुल रईस को करना बताया जाकर रूपयो की भरपाई की प्राप्ति अब्दुल रईस के फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से स्टाम्प के पीछे दर्शाई गई है। एवं उक्त अनुबंध लेख के आधार पर स्वयं को कृषि भूमि विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार बताते हुए इसी जमीन का सौदा दिनांक 09/02/2023 को एक अन्य कृषि भूमि विक्रय अनुबंध लेख के माध्यम से आवेदक से किया जाकर दिनांक 09/02/2023 से दिनांक 22/12/2023 तक उक्त एग्रीमेन्टनुसार 2,02,00,000/- (दो करोड दो लाख) रूपये की राशि नगदी, चैक व आरटीजीएस विभिन्न रीतियो से प्राप्त किये गये । आरोपी व्दारा रामगोपाल रातडिया के साथ संगनमत होकर उक्त जमीन का दूसरा विक्रय अनुबंध लेख किसान अब्दुल रईस के माध्यम से दिनांक 14/03/2023 के एग्रीमेन्टनुसार किया जाकर अन्यत्र पक्षकार (1)श्री अभय लुनावत/देवेन्द्र लुनावत) व (2) देवीसिंह/प्रभुलाल को दो भागो मे उक्त जमीन को दि. 12/4/2023 व दिनांक 19/04/2023 को रजिस्टर्ड पंजीयन किया गया चूंकि देवीसिंह सिकरवाल पटवारी रामगोपाल के ग्राम मोडी का ही रहने वाला होकर विगत 20 वर्षो से पटवारी रामगोपाल रातडिया से जुडा होकर चैनमेन व रामगोपाल की पत्नी संतोषदेवी के वेयर हाउस मे नौकरी करता है एवं ग्राम मोडी का बीपीएल कार्डधारी है । अनिल बोहरा के साथ संगनमत होकर पटवारी रामगोपाल व्दारा षडयंत्रपूर्वक जमीन की रजिस्ट्री अपने कर्मचारी देवीसिंह के नाम से कराई गई है जिसके एवज मे पटवारी रामगोपाल व्दारा स्वंय 09 लाख रूपये का चैक फरियादी के यहां से ले जाकर किसान अब्दुल रईस को दिया गया है । आरोपी व्दारा आवेदक को विक्रय अनुबंधित की गई जमीन की रजिस्ट्री अन्य पक्ष को कर रूपये प्राप्त किये तथा उसके उपरांत भी आरोपी द्वारा आवेदक को पूर्वनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत भ्रम मे रखकर छल करते हुए सौदे को छुपाकर दिनांक 12/04/2023 को चैक क्रं 271261 से 9,00,000/- रूपये दिनांक 20/04/2023 को चैक क्रं 271266 से 34,00,000/- रूपये दिनांक 12/07/2023 को चैक क्रं 149976 से 1,50,000/- रूपये आरोपी अनिल बोहरा को प्रदान किये गये इसके अतिरिक्त दिनांक 17/09/2023 को 31,00,000/- रूपये नगद जिसकी भरपाई स्टाम्प क्रं CE-128936 पर स्वीकृति रसीद से व दिनांक 22/12/2023 को

35,00,000/- रूपये नगद प्राप्त किये जाकर उसकी भरपाई स्टाम्प क्रं CF - 426940 पर प्राप्ति स्वीकृति रसीद के आधार पर 1,00,00,000/-(एक करोड रूपये मात्र) प्राप्त किये गये इस प्रकार आवेदक के साथ कूटरचित फर्जी दस्तावेजो के आधार पर कृषि भूमि का विक्रय अनुबंध किया जाकर धोखाधडी करते हुए कुल 2,02,00,000/-(दो करोड दो लाख रूपये मात्र) की राशि प्राप्त कर उक्त राशि का गबन किया गया । जांच करते आरोपी अनिल बोहरा व पटवारी रामगोपाल रातडिया के व्दारा आपस मे संगनमत होकर पूर्वनियोजित षडयंत्र के अंतर्गत कूटरचित दस्तावेजो को तैयार कर छल करते हुए बिना वैधानिक अधिकार होते हुए भी जमीन को स्वयं व्दारा आवेदक को विक्रय किया जाकर जमीन की रजिस्ट्री आवेदक को ना कराते हुए अन्यत्र दो व्यक्तियो (अभय लुनावत/देवेन्द्र लुनावत) व (देवीसिंह सिकरवाल) से सौदा कर उन्हे बेचकर आवेदक व अन्य से अवैध लाभ अर्जित किया गया जो प्रथमदृष्टया मामला अपराध धारा 318(4),338,336(3), 340(2),61 बीएनएस के अंतर्गत पाया जाता है जो आवेदन का मजमून हस्वजेल है । श्रीमान थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना तुकोगंज, इन्दौर विषय – अनिल बोहरा पिता महेश कुमार बोहरा निवासी ग्राम मोडी तहसील सुसनेर जिला आगर एवं उसके साथी श्री गोपाल रातडिया (पटवारी नलखेडा) व्दारा मेरे साथ गंभीर धोखाधडी करने और झूठे दस्तावेज बनाकर मुझसे दो करोड दो लाख रूपये हडप कर जाने विषयक । महोदय, मै प्रार्थी विजय भट्ट पिता स्व. श्री गोपालकृष्ण भट्ट मो. 6265880831, 229 ट्रेड सेंटर 18 साउथ तुकोगंज, इन्दौर सादर निवेदन करता हूं कि- 1. यह कि अनिल बोहरा पिता महेश कुमार बोहरा निवासी – ग्राम मोडी तहसील सुसनेर जिला आगर ने एक कूटरचित, फर्जी विक्रय अनुबंध लेख दिखाकर जिसमे उल्लेखित विक्रेता श्रीमान रईस पिता अब्दुल रशीद निवासी – डोकरपुरा, नलखेडा जिला आगर मालवा से स्वयं अनिल बोहरा को ग्राम नलखेडा तहसील एवं जिला आगर स्थित सर्वे नंबर 76/2, 152/1/1, 73/1, 77/1, 78,79, 80,82, 83, 145/2, 152/1/2, 150 कुल रकबा 3.378 हेक्टेयर की भूमि को क्रय करना बताया । इस फर्जी और कूटरचित विक्रय अनुबंध मे अनिल बोहरा ने विक्रेता रईस को 1,01,00,000/-(अक्षरी रूपये एक करोड एक लाख) देना बताया जिसकी प्राप्ति स्वीकृति पर रईस के हस्ताक्षर भी नकली बनाये गये है, कुल 2,02,50,000/- (अक्षरी रूपये दो करोड दो लाख पचास हजार) मुझसे लेकर पूरी 3.378 हे.भूमि की मेरे नाम रजिस्ट्री करवाने का मेरे नाम लिखित अनुबंध कर फर्जी लिखित आश्वासन देकर अनिल बोहरा ने मुझसे दो करोड दो लाख पचास हजार रूपये ठग लिये । 2. यह कि मैने अनिल बोहरा और उसके ठग साथी गोपाल रातडिया जो कि राजस्व विभाम नलखेडा मे पटवारी के पद पर पदस्थ है पर विश्वास कर, और अनिल बोरहा के व्दारा बनाये गये फर्जी कुटरचित एग्रीमेन्ट को देखकर दो करोड रूपये 3.378 हे. कुल 8.34 एकड भूमि खरीदने हेतू निम्न रीति से अनिल बोहरा एवं गोपाल रातडिया पटवारी को प्रदान कर दिये – अनिल बोहरा (पाटीदार) क्रं 1. दिनांक 09-02-2023 चैक नं. /बैक आरटीजीएस नं. नगद राशि रकम 35,00,000/- 2. दि. 10-02-2023 को 145422 / HDFC BANK – 13,00,000/- 3. दि. 14-02-2023 को 145424 / HDFC BANK – 4,00,000/- 4. दि. 20-02-2023 को 145426 / HDFC BANK – 5,00,000/- 5. दि. 20-02-2023 को 271251 / HDFC BANK – 8,00,000/- 6. दि. 02-03-2023 को 145430 / HDFC BANK – 3,00,000/- 7. दि. 13-03-2023 को 145413 / HDFC BANK – 7,00,000/- 8. दि. 13-03-2023 को 145414 / ICICI BANK – 3,00,000/- 9. दि. 06-04-2023

को 271256 / ICICI BANK –5,00,000/- 10. दि. 11-04-2023 को 271257 / गोपाल रातडिया – 9,00,000/- 11. दि. 12-04-2023 को 271261 – 9,00,000/- 12. दि. 20-04-2023 को 271266 / ICICI BANK – 34,00,000/- 13. दि. 12-07-2023 को 149976 / ICICI BANK – 1,50,000/- 14. दि. 17-09-2023 को नगद – 31,00,000/- व 15, दि. 22/12/2023 को नगद राशि 35,00,000/- रूपये कुल 2,02,50,000/-रूपये. 3. यह कि मेरे व्दारा मेरे बैक खाते मे से विभिन्न दिनांक को RTGS किये गये 1,01,00,000/-(अक्षरी रूपये एक करोड एक लाख मात्र) अनिल बोहरा के खाते मे जमा हो गये जिसे तत्काल अनिल बोहरा ने प्राप्त कर लिये है, इसके बदले मे अनिल बोहरा ने मुझे एक हजार रूपये के स्टाम्प पर एक झूठा अनुबंध बनाकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर मुझे दिये जिसमे अनिल बोहरा नेमूल किसान रईस पिता अब्दुल रशीद निवासी डोकरपुरा, नलखेडा से क्रय की भूमि का विक्रय अनुबंध लेख की फोटोकांपी अपने अनुबंध सहित यह लिखकर दी कि नलखेडा स्थित उपरोक्त सर्वे नं. की भूमि जो उसने क्रय कर रखी है जिसके एवज मे उसने मुझसे ये रूपये प्राप्त किये है और वह अनुबंधित वर्णित पूरी भूमि की मेरे नाम कर रजिस्ट्री करवा देवेगा । उसने इस भूमि मे श्री गोपाल रातडिया(पटवारी) नलखेडा को अपना भागीदार बताया और गोपाल रातडिया पटवारी जी स्वयं मेरे आफिस मे आकर 9,00,000/-का चैक क्रं 271257 विक्रेता रईस के नाम पर खुद लेकर गये थे, जिसकी सीसीटीव्ही फुटेज एवं फोन रिकार्डिग मेरे पास उपलब्ध है यह चेक दिनांक 11/04/2023 को किसी फरनाज शेख के खाते मे जमा हुआ है इस तरह मुझे स्पष्ट और साफ साफ लगता है कि अनिल बोहरा के साथ गोपाल रातडिया(पटवारी) की मिलीभगत है और दोनो ने मिलकर मेरे साथ गंभीर धोखाधडी कारित की है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि अनिल बोहरा व्दारा जो फर्जी और कूटरचित एग्रीमेन्ट 31 दिसंबर 2022 विक्रेता रईस पिता अब्दुल रशीद व्दारा फर्जी बनाया गया है और जिसकी फोटोकांपी दिखाकर मुझसे दो करोड रूपये की गंभीर धोखाधडी की गयी है मैने जब पता किया तो मूल भूमिस्वामी ने ऐसा कोई एग्रीमेन्ट अनिल बोहरा के पक्ष मे ना तो निष्पादित किया और ना ही अनिल बोहरा से उन्होने फर्जी अनुबंध मे उल्लेखित रकम प्राप्त की । उस फर्जी और कूटरचित अनुबंध की सूक्ष्म जांच पडताल करे और यदि वह कूटरचित दस्तावेज अनिल बोहरा व्दारा निर्मित किया गया है तो अनिल बोहरा पर भारतीय दण्ड विधान की सभी धाराओ के तहत अनिल बोहरा पर प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे अविलंब गिरफ्तार करे एवं एक हजार रूपये के स्टाम्प पर जो भूमि अनिल बोहरा ने क्रय ही नही की उस भूमि का फर्जी अनुबंध मेरे नाम पर निष्पादित करने की गंभीर धोखाधडी करने पर अनिल बोहरा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की समस्त धाराओ के तहत अलग से प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे साथ ही अनिल बोहरा के भागीदार रामगोपाल रातडिया(पटवारी) को भी सह-आरोपी बनाकर उनकी भूमिका की भी जांच करवाई जावे, साथ ही मुझसे ठगा हमारा रूपया अनिल बोहरा से अविलम्ब हमे दिलवाया जावे यही निवेदन है । दिनांक प्रार्थी विजय भट्ट मो. 6265880831 पता – 229, ट्रेड सेंटर, 18 साउथ तुकोगंज इन्दौर (म.प्र.) संलग्न – 1. अनिल बोहरा एवं रईस के फर्जी कूट रचित अनुबंध 2. अनिल बोहरा एवं मेरे मध्य हुआ अनुबंध

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): JITENDRA SINGH YADAV (निरीक्षक)/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
10014539

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAJU SINGH

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक